

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-4-3/2011/नियम/चार,

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों को स्थायी यात्रा भत्ता स्वीकृत करने के संबंध में.

वित्त विभाग के ज्ञाप/क्रमांक एफ-4/5/2002/नियम/चार, दिनांक 30-8-2002/3-9-2002 में शासकीय सेवकों के प्रवर्गों को स्वीकृत मासिक स्थायी यात्रा भत्ता की दरों को पुनरीक्षित कर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:—

क्र. (1)	कर्मचारी का प्रवर्ग (2)	पुनरीक्षित दर (3)
1	राजस्व निरीक्षक	300
2	विक्रय अमीन	300
3	सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्रामसेवक)/सहायक विकास विस्तार अधिकारी	300
4	जिला और तहसीलों में राजस्व भृत्य तथा जमादार	250
5	वन विभाग के चेनमेन	250
6	राजस्व, न्यायालय तथा वाणिज्यिक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर	250
7	पटवारी (राजस्व विभाग के ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले)	250
8	पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक	300
9	जिला कार्यकारी बल के प्रधान आरक्षक	200
10	जिला कार्यकारी बल के आरक्षक	125

2. केवल ऐसे क्षेत्रीय पशु चिकित्सा सहायक को स्थायी यात्रा भत्ते की पात्रता होगी, जो ऐसे पदों/स्थानों पर पदस्थ हों, जहां गहन यात्रा करना आवश्यक हो.

3. यह दरें दिनांक 01 अगस्त, 2011 (जिसका भुगतान माह सितम्बर, 2011 में किया जावेगा) से प्रभावशील होगी.

4. स्थाई यात्रा भत्ता स्वीकृति के लिये अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(ए. ए. मिश्रा)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.